भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *177

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता के संवितरण में देरी

***177. श्री श्रेयस एम. पटेलः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति और संवितरण में विलंब की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किए गए, कितने लंबित हैं, कितने अस्वीकृत किए गए और कितने संवितरित किए गए;

(ग) पीएमईजीपी के अंतर्गत आवेदनों पर कार्रवाई करने, परियोजनाओं को मंजूरी देने, मार्जिन मनी राजसहायता जारी करने और ऋणों के संवितरण में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति और संवितरण में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने, बैंकों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने, आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता जारी करना सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 30.07.2026 को लोकसभा में उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋणों की संस्वीकृति और मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण में लगने वाला समय आवेदन प्रक्रिया को सहायक दस्तावेजों के साथ पूरा करने, परियोजना व्यवहार्यता के मूल्यांकन और वित्तपोषण बैंकों द्वारा ऋण निर्णय, स्वयं का अंशदान जमा और भावी लाभार्थियों द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण पूरा करने तथा वित्तपोषण बैंकों द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी दावों की प्रस्तुति पर निर्भर करता है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या, संस्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों और किए गए आवेदनों पर संवितरित एमएम सब्सिडी की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएमईजीपी आवेदनों के प्रसंस्करण, बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृति और केवीआईसी द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करने में औसतन क्रमशः 58, 70 और 84 दिनों का समय लगा है।

(घ) और **(ङ)** सरकार, कर्नाटक सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन सहित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता की संस्वीकृति और संवितरण में लगने वाले समय की बारीकी से निगरानी करती है।

अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, ऋण संस्वीकृति के लिए वित्तपोषण बैंकों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने, आवेदनों के निपटान में तेजी लाने और पीएमईजीपी के अंतर्गत एमएम सब्सिडी को समय पर जारी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सरकार और वित्तपोषण बैंकों द्वारा राज्य और जोनल स्तर पर बैंकर्स की त्रैमासिक बैठकों, राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकों के माध्यम से लंबित आवेदनों और एमएम सब्सिडी दावों की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है।
ii. परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में आवेदकों की सहायता के लिए, विभिन्न सेक्टर से संबंधित 1,000 से अधिक आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
iii. प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए, के विनिर्माण सेक्टर में 10 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक की की परियोजनाओं के लिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
iv. छोटी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन में तेजी लाने हेतु 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण से छूट दी गई है।
v. भावी उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करने, आवेदन की सुविधा प्रदान करने और तत्क्षण सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य स्तर पर पीएमईजीपी हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं तथा सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, कमतर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम और वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं।
vi. समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित पीएमईजीपी पोर्टल को जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और आवेदकों को सभी आवेदन चरणों में एसएमएस अलर्ट मिल सके तथा उद्यम पंजीकरण आसान हो।

अनुलग्नक-I

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 177 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंकों को प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों और किए गए आवेदनों पर संवितरित एमएम सब्सिडी की संख्या संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2021-22					वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2023-24				
		बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की संख्या, जिनके लिए एमएम संवितरित की गई	बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की संख्या, जिनके लिए एमएम संवितरित की गई	बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की संख्या, जिनके लिए एमएम संवितरित की गई
1	अंडमान निकोबार	276	148	0	131	162	474	318	3	142	121	477	342	8	137	135
2	आंध्र प्रदेश	6398	2771	160	3380	2477	12404	5563	237	6266	3073	27674	11384	708	14964	5577
3	अरुणाचल प्रदेश	600	221	8	355	196	639	247	10	386	158	591	243	49	286	169
4	असम	10967	3280	131	7522	3855	12259	3898	162	8123	2596	11301	3742	297	7100	2417
5	बिहार	8227	2812	157	5157	2477	29161	8098	894	20139	4459	34253	11882	2489	19832	6837
6	चंडीगढ़	63	20	0	42	21	79	18	0	62	15	100	15	2	82	10
7	छत्तीसगढ़	8844	3112	28	5622	3020	9971	3888	82	6036	2543	8765	3515	300	4865	2379
8	दादरा नगर हवेली	8	7	1	0	5	11	3	3	3	3	11	8	3	0	4
9	दमण और दीव	11	7	1	2	3	10	9	0	3	3	11	11	0	0	6
10	दिल्ली	291	106	5	197	100	266	124	5	136	72	326	81	20	225	50
11	गोवा	119	88	2	23	87	139	122	2	13	66	131	109	2	18	68
12	गुजरात	4801	4175	301	1407	4140	5997	4522	319	1301	3068	5807	4488	366	1168	2994
13	हरियाणा	6645	1925	48	4598	1726	7151	2462	55	4631	1559	7031	2727	103	4176	1398
14	हिमाचल प्रदेश	2114	1197	3	931	1274	2617	1615	6	943	930	3172	2079	28	1061	974
15	जम्मू कश्मीर	36181	23955	448	11532	21648	39341	26777	202	12704	12023	38667	25522	252	13365	15065

16	झारखंड	6415	1689	61	4659	1714	9316	2726	111	6452	1851	10622	3550	133	6849	2101
17	कर्नाटक	22417	6545	534	15364	5877	26142	8212	618	17413	5618	24715	7862	751	16103	4672
18	केरल	4983	2819	12	2300	2789	10526	6161	19	4064	3129	9857	6371	53	3465	3389
19	लद्दाख	338	246	16	77	295	264	238	10	33	91	221	178	9	44	122
20	लक्षद्वीप	5	7	0	1	7	4	0	0	4	2	6	1	0	5	0
21	मध्य प्रदेश	19796	8231	331	11251	8082	20582	9206	313	11082	5957	18955	7734	650	10595	5292
22	महाराष्ट्र	19482	5036	640	13595	4123	16006	6156	611	9783	3622	19672	6169	1155	12010	2762
23	मणिपुर	2406	992	213	1191	1139	2441	885	117	1432	545	2350	744	171	1417	348
24	मेघालय	1398	532	2	858	699	2212	891	15	1293	306	3054	1222	19	1662	280
25	मिजोरम	847	709	3	242	650	975	574	24	371	412	907	414	35	453	401
26	नागालैंड	1557	1075	28	458	1241	2277	1205	86	920	469	2915	1314	189	1299	517
27	ओडिशा	14451	4632	58	9624	4301	15303	5337	71	9885	3880	14749	5180	152	9381	2975
28	पुदुचेरी	134	60	1	76	66	113	45	2	65	25	203	88	2	109	30
29	पंजाब	5268	1785	53	3424	1790	6144	2427	132	3518	1564	6587	2984	117	3438	1469
30	राजस्थान	7506	2666	48	4841	2599	6857	3173	111	3478	2037	7992	3793	210	3660	1678
31	सिक्किम	119	83	0	36	85	309	177	4	109	57	1039	607	8	378	132
32	तमिलनाडु	16334	6339	346	9680	5972	29963	11499	818	16781	6140	43285	16376	1575	24386	6814
33	तेलंगाना	8747	2871	401	5663	2906	14361	4588	797	8574	2540	14992	5874	688	8615	2503
34	त्रिपुरा	1496	894	15	576	958	1819	1009	8	843	703	1893	962	20	886	588
35	उत्तर प्रदेश	31000	13035	152	17486	12594	39535	19660	267	19351	11601	38707	19525	499	18547	11689
36	उत्तराखंड	4132	1907	28	2180	1836	4588	2438	56	2073	1803	3791	2185	48	1568	1354
37	पश्चिम बंगाल	8549	2652	730	5164	2305	9167	3062	1048	5035	2126	7921	2906	755	4349	1919
कुल		**262925**	**108629**	**4965**	**149645**	**103219**	**339423**	**147333**	**7218**	**183447**	**85167**	**372750**	**162187**	**11866**	**196498**	**89118**

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2025-26				
		बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की सं., जिनके लिए एमएम संवितरित की गई	बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की सं., जिनके लिए एमएम संवितरित की गई
1	अंडमान निकोबार	292	193	8	94	61	175	79	74	28	56
2	आंध्र प्रदेश	14551	8124	683	6457	3249	14560	6077	3442	5473	6779
3	अरुणाचल प्रदेश	453	145	59	256	156	630	146	260	244	144
4	असम	9611	3270	415	6050	3170	9170	2618	1602	5152	2418
5	बिहार	29995	7245	3626	19315	5035	19533	3445	4911	11241	4609
6	चंडीगढ़	49	16	0	34	5	27	5	10	12	4
7	छत्तीसगढ़	7671	3002	479	4345	1853	4552	1383	1212	2055	1112
8	दादरा नगर हवेली	9	4	3	4	1	7	1	4	2	1
9	दमण और दीव	13	12	1	2	3	14	4	9	1	4
10	दिल्ली	246	49	12	185	26	103	21	46	37	20
11	गोवा	67	64	3	10	39	85	50	26	13	29
12	गुजरात	3564	2817	359	785	1780	36	274	3	4	1829
13	हरियाणा	4813	1916	355	2698	788	3206	1094	1062	1133	1094
14	हिमाचल प्रदेश	1932	1282	34	727	796	1568	879	211	454	902
15	जम्मू कश्मीर	28697	17365	304	12100	9863	10411	5363	1269	3706	7837
16	झारखंड	6794	2025	426	4475	1452	2945	420	1118	1433	833
17	कर्नाटक	19092	6684	1039	12035	2839	19838	4366	5117	10542	3836
18	केरल	8907	6184	205	2963	2260	2779	1699	466	936	2399
19	लद्दाख	198	136	14	59	135	227	124	29	51	182
20	लक्षद्वीप	5	2	0	2	0	4	2	3	0	0

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2025-26				
		बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की सं., जिनके लिए एमएम संवितरित की गई	बैंकों को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	उन आवेदनों की सं., जिनके लिए एमएम संवितरित की गई
21	मध्य प्रदेश	919	845	64	505	2626	12	8	5	0	1886
22	महाराष्ट्र	15856	5347	1795	9106	1856	9597	2754	3284	3987	2806
23	मणिपुर	1939	544	236	1199	608	2038	474	489	1101	403
24	मेघालय	2456	1055	16	1434	1114	1721	685	114	1066	751
25	मिज़ोरम	710	369	20	335	484	852	420	130	291	343
26	नागालैंड	1153	649	130	522	1262	915	296	457	264	602
27	ओडिशा	14019	4694	389	9000	1867	12813	3504	2345	7162	3033
28	पुडुचेरी	141	78	5	57	38	87	33	37	28	23
29	पंजाब	5232	2374	437	2553	970	4039	1517	1286	1262	1357
30	राजस्थान	5982	3356	264	2814	916	4444	1739	821	1963	1655
31	सिक्किम	623	472	19	171	316	776	423	257	111	315
32	तमिलनाडु	25331	12119	1169	14070	3949	19561	6189	5899	8151	7216
33	तेलंगाना	10312	4047	618	6161	1850	8130	2415	2052	4061	2663
34	त्रिपुरा	1655	724	22	919	730	1475	537	127	811	632
35	उत्तर प्रदेश	14009	7534	603	7124	5518	3034	985	1222	868	7261
36	उत्तराखंड	1678	1082	72	648	734	138	77	19	52	574
37	पश्चिम बंगाल	6253	2544	798	3150	1359	3703	838	2194	804	886
कुल		**245227**	**108368**	**14682**	**132364**	**59708**	**163205**	**50944**	**41612**	**74499**	**66494**